

A - 1-6  
**FORM-1**

Page No.....6

(for linear projects)

**Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Rudraprayag**

No-99

Dated- 05/10/2015

**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.3850 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Manigu Syal dobha to Khali-Khamoli Motor Road under State Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Syal Dobha** village (s) in **Rudraprayag** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

**Eucl: As above.**

*Raghav Langer*  
(Dr. Raghav Langer)

*प्रिया विकारी*  
(Full name and official seal of the District Collector)

Page No..... 6(A)  
ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR  
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langer I.A.S District Magistrate Rudraprayag on date 05.10.15 at time 2:00 p.m. at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 0.3850 hect for the Construction of Maniguah Syal Dobha to Khali Khamoli Motor Road under State Sector (3.00 Km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag  
Dated: 05.10.15

*Raghav*  
राघव लंगर  
(Dr. Raghav Langer)  
District Magistrate-cum-  
Chairman, District Level  
Committee, Rudraprayag

प्रपत्र-23

**परियोजना का नाम :-** राज्य योजना (सुमंधो) के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि मणिगुह मोटर मार्ग से स्पाल डोभा होते हुए खाली-खमोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी।)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत राज्य योजना (मु0मंधो) के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि मणिगुह मोटर मार्ग से स्याल डोभा होते हुए खाली-खमोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निमाण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी। के निर्माण हेतु (0.00 हो 0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हो सिविल सोयम भूमि, 0.3850 हो 0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.3850 हो 0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत २०१७/१८ द्वारा दिनांक १५/१२/२० को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं! उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जांगड़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

~~प्रमाणित किया जो सत्य रुप सही है।~~

ह०/ ग्राम पंचायत तिकारी अधिकारी  
ग्राम सचिवा (ठाकुर डिल्लू) अमरपुरा (उत्तराखण्ड)



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

## प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :— राज्य योजना (मु०म०ध०) के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि मणिगुह मोटर मार्ग से स्याल डोभा होते हुए खाली-खमोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी।

दिनांक १५/१२/१७ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत माटीगुह (व्यालोंगांव, व्याली, लगोनी, लग्नो, बड़ी, छापतला, पटला)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	प्रधान लाल	प्रधान लाल
2	दीप्ति लाल	दीप्ति लाल
3	रामराज लाल	रामराज लाल
4.	रामलाल चौहानी	रामलाल चौहानी
5.	दीपक शंखनी राम	दीपक शंखनी
6	सुरज लाल	सुरज लाल
7	गोपिक लाल	गोपिक लाल
8	अनन्त सिंह	अनन्त सिंह
9	ताजपत सिंह	ताजपत सिंह
10	द्वार्दे सिंह	द्वार्दे सिंह
11	वार्दे सिंह	वार्दे सिंह
12	वचन सिंह	वचन सिंह
13	रामाल सिंह	रामाल सिंह
14	विश्वनाथ	विश्वनाथ
15	श्वेत लिह रावत	श्वेत लिह रावत
16	बुललील	बुललील
17	महरवान लिह	महरवान लिह
18	कुवर लिह	कुवर लिह
19	रोन सिंह	रोन सिंह

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र अधिकारी अगस्त्यमुनि  
जनपद रुद्रप्रयाग दृष्टि विभाग  
संलग्न है।



## प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :— राज्य योजना (मु0मं0धो०) के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि मणिगुह मोटर मार्ग से स्थाल डोभा होते हुए खाली-खमोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :- रुद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

## उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली।

उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना (मु0मं0धो०) के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि मणिगुह मोटर मार्ग से स्थाल डोभा होते हुए खाली-खमोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी० हो 0.3850 हेतु वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.3850 हेतु वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक 22-09-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मुख्यमंत्री, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1— श्री कृष्णनन्दन उपजिलाधिकारी — SDM(R) अध्यक्ष —
- 2— श्री प्रभागीय उप प्रभागीय वनाधिकारी कर्मचारी सदस्य —
- 3— श्री प्रभागीय सहायक समाज कल्याण अधिकारी — कर्मचारी सदस्य/सचिव —
- 4— श्री प्रभागीय वी0डी0सी० क्षेत्र — कर्मचारी सदस्य — लिपि

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य योजना (मु0मं0धो०) के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि मणिगुह मोटर मार्ग से स्थाल डोभा होते हुए खाली-खमोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी० हेतु 0.3850 हेतु वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रत्यावर्तन की अनुरूपता की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधिन को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना (मु0मं0धो०) के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि मणिगुह मोटर मार्ग से स्थाल डोभा होते हुए खाली-खमोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी० के निर्माण हेतु 0.3850 हेतु वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ज्ञात कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी कर्मचारी  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग।

उपखण्ड स्तरीय अधिकारी

रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग

